रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 1996/अग्रहायण 29, 1918

No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 1996/AGRAHAYANA 29, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1996

विषय: कोरिया गणराज्य, थाइलैण्ड और इण्डोनेशिया गणराज्य से प्यूरीफाइड टेरिफथैलिक एसिड (पी टी ए) के बारे में प्रतिपाटन जांच की शुरूआत।

14/1/96/ए. डी. डी.—मैसर्स दि बम्बे डाईंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि. और मैसर्स रिलाएन्स इण्डस्ट्रीज लिमि. ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ(डम्प की गई वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियम 1995 के अनुसार प्यूरीफाइड टेरीफथैलिक एसिड (इसके बाद पी टी ए के रूप में उद्धृत किया जाएगा) के पाटन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है और प्रतिपाटन जांच करने तथा प्रतिपाटन-शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. याचिकाकर्ता और घरेलू उद्योग : ये याचिकाएं मैसर्स दि बाम्बे डाईंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमि., नेविल हाउस, हेरेडिया मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुम्बई 400038 और मैसर्स रिलाइन्स इण्डस्ट्रीज लि., मेरीडियन कमर्सियल टावर, पांचवी मंजिल, विंडसर प्लेस, जनपथ, नई दिल्ली-110001 ने अलग अलग याचिकाऐं दायर की हैं। मैसर्स इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमि. (आई. पी. सी. एल.)और एस. बी. सी. सुपर चेन लि. ने प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के अनुरोध का समर्थन किया है। याचिका कर्ता भारत में समान वस्तुओं का अधिकांश उत्पादन करते हैं और ऊपर बताए गए नियमों के अन्तर्गत घरेलू उद्योग की ओर से लिखित अनुरोध करने की स्थिति में हैं।

तथापि, रिलाएन्स इण्डस्ट्रीज लिमि० थाइलैंड, कोरिया गणराज्य और इण्डोनेशिया से पी. टी. ए. का आयातक है और इस प्रकार, ऊपर के बताए गए नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार उसे घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

3. शामिल उत्पाद : वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद प्यूरीफाएड टेरीफथैलिक एसिड है, जिसे व्यापक रूप से पी. टी. ए. के रूप में जाना जाता है, जो कोरिया गणराज्य, थाइलैंण्ड तथा इण्डोनेशिया गणराज्य मूल की है या वहां से इसका निर्यात किया जाता है। पी. टी. ए. को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क कोड 291736 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

4. सामान्य वस्तु : ऊपर के नियमों के नियम 2 (डी) के अन्तर्गत "समान वस्तु" की परिभाषा के अनुसार डी एम टी/पी टी ए को इन जांचों के लिए संबंधित उत्पादों की समान वस्तु माना जाता है।

5. सामान्य मूल्य : याचिकाकर्ताओं ने अग्रणी पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल्यों के आधार पर उक्त देशों में घरेलू कीमतों को दर्शाने वाला साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यह दलील दी गई है कि इन कीमतों को उक्त देशों में प्रचलित सामान्य मूल्य माना जाए।

6. निर्यात कीमत : याचिकाकर्त्ताओं ने डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा 1995-96 तक आयातों के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार और उसके बाद की सीमाशुल्क सूचना के आधार पर निर्यात कीमतें प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार, जाँच की अवधि के दौरान उक्त देशों से भारत में किए गए निर्यात के संबंध में प्रचलित निर्यात कीमतों के पर्याप्त संकेत हैं।

7. डम्पिंग : इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि कथित देशों से भारत को होने वाला निर्यात मूल्य कथित देशों की सामान्य कीमत से कम था। निर्यातकों द्वारा प्रथम दृष्टया संबंधित वस्तुओं का कथित देशों से डम्प किया जा रहा है।

8. क्षति : क्षति के संबंध में विभिन्न प्राचल उदाहरणार्थ शुद्ध रूप में आयात की मात्रा, बाजार हिस्सा, उक्त देशों से आयात कीमत और घरेलू उद्योग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न निर्देशात्मक कारक जैसे उत्पादन, बिक्री, विक्रय, कीमतें, स्टाक, लाभ और हानि, सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हो रही है।

9. इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उक्त देशों के मूल के आयातित अथवा वहां से निर्यातित सामान से घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हो रही है।

10. पाटनरोधी जांच की शुरूआत : अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी कथित देशों के मूल के या वहां से निर्यात होने वाले सामान के आरोपित पाटन की मौजूदगी, डिग्री और प्रभाव की पाटन रोधी जांच शुरू करते हैं।

11. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि अप्रैल, 1996 से अक्तूबर, 1996 है।

12. सूचना प्रस्तुत करना : सभी संबंधित ज्ञात पक्षों को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे संगत सूचना और अपनी राय निर्धारित फार्म में व निर्धारित ढंग से श्री दीपक चटर्जी, निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय कमरा नं0 243, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत कर दें। अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित समयावधि में निर्धारित तरीके से जांच के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर सकती है।

13. समय सीमा : वर्तमान जांच से संबंधित सूचना लिखित में भेजी जाए ताकि वह उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के अंदर पहुंच सके। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग-अलग लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

14. ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्ष पहुंच के लिए इन्कार कर देता है या पर्याप्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकार्ड कर सकता है और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

दीपक चटर्जी, नामोद्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20 December, 1996

Subject : Initiation of anti dumping investigation concerning import of Purified Terephthalic Acid (PTA) from the Republic of Korea, Thailand and the Republic of Indonesia.

14/1/96/ADD.—M/s. The Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd. and M/s. Reliance Industries Ltd. have filed petitions in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and Customs Tariff (Indentification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Purified Terephthalic Acid (hereinafter referred to as PTA) and requested for anti dumping investigation and levy of anti-dumping duty.

2. **Petitioners and Domestic Industry :** The petitions have been filed separately by M/s. The Bombay Dying & Manufacturing Company Ltd., Neville House, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 038 and M/s. Reliance Industries Ltd., Meridien Commercial Tower, 5th Floor, Windsor Place, Janpath, New Delhi 110 001. M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd. (IPCL) and SVC Superchem Ltd. have also supported the request for imposition of Anti-dumping duty The petitioners account for majority production in India and have a standing to file a written request on behalf of domestic industry under the rules aforesaid.

Reliance Industries Ltd. is, however, an importer of PTA from Thailand, Korea RP and Indonesia and is therefore, excluded from the definition of Domestic Industry in accordance with rule 2(b) of the rules supra.

3. **Products Involved :** The product involved in the present investigation is Purified Terephthalic Acid, widely known as PTA, originating in or exported from the Republic of Korea, Thailand, and the Republic of Indonesia. PTA is classified under custom code 291736 of the Customs Tariff Act, The classification is, however, indicative only is in no way binding on the present investigations.

4. **Like Article :** DMT/PTA are considered to be like articles to the product involved for the purpose of these investigation in terms of definition of "like article" under rule 2(d) of the rules supra.

5. **Normal Value :** The petitioners have provided sufficient prima facie evidence showing domestic prices in the subject countries, based on the prices published in leading journals. It has been pleaded that these prices should be considered as Normal Value prevailing in the said countries.

6. **Export Price :** The petitioners have provided export prices as per statistics complied by DGCI&S, Calcutta for imports upto 1995-96 and on the basis of Customs Daily Lists thereafter. Thus there is sufficient indication evidence with regard to the prevailing Export Prices to India from the said countries during the period of investigation.

7. **Dumping :** There is sufficient prima facie evidence that Export Price to India from the said countries was lower than the Normal Value in the said countries. The subject goods

are, prima facie, being dumped by the exporters from the said Countries.

8. ***Injury :*** The various parameters relating to injury to the Domestic Industry such as quantum of imports in absolute terms market share, import price from the said countries and various indicators affecting domestic industry such as production, sales, selling prices, stocks, profit and loss, collectively and cumulatively, prima facie, indicate that the domestic industry has suffered material injury.

There is sufficient prima facie evidence that the imports of the subject goods originating in or exported from the said countries are causing material injury to the domestic industry.

9. ***Initiation of Anti Dumping Investigation :*** The Designated Authorty, therefore, initiates anti dumping investigation into the exixtence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods orginating in or exported from the said Countries.

10. Period of investigation : The period of investigation for the present investigations is April, 1996 to Oct, 1996.

11. ***Submission of information :*** All the known interested parties are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to Shri Dipak Chatterjee, Designated Authority, Ministry of Commerce, Room No, 243, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. Time Limit : Any information relating to the present investigation should be sent in writting so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known interested parties, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of despatch of the letter addressed to them separately.

13. In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DIPAK CHATTERJEE, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996